

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:—स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 753 / 2023


दिनांक : 02.03.2023

श्री राजीव चौधरी-II (RJ0930), वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोडारायसिंह (टोंक) को दिनांक 08.02.2023 से 09.02.2023 तक 02 दिनों का परावर्तित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

श्री चौधरी की अनुपस्थिति में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मालपुरा (टोंक) ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोडारायसिंह (टोंक) के पद पर ही की गई।

आज्ञा से



रजिस्ट्रार (वर्गीकरण) 02.03.2023

क्रमांक:—स्था.बी.2(4)/100/2015/1690

दिनांक 02.03.2023

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, टोंक को उनके पत्रांक 1766 दिनांक 13.02.2023 के सन्दर्भ में।
3. श्री राजीव चौधरी-II (RJ0930), वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोडारायसिंह (टोंक)।
4. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोडारायसिंह (टोंक)।
5. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मालपुरा (टोंक)।


सहायक रजिस्ट्रार 02.3.2023